राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

देवस्थान विभाग

नागरिक अधिकार पत्र

श्री राधामाधव मंदिर, वृंदावन

देवस्थान विभाग

गौरवशाली अतीत का उत्तरदायित्व

देवस्थान विभाग मन्दिर संस्कृति के संरक्षण एवं सवंर्धन का विभाग है । इस विभाग के वर्तमान स्वरूप का गठन भूतपूर्व राजपुताना राज्य की छोटी बडी 22 रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात वर्ष 1949 में बने वृहद राजस्थान राज्य के साथ–साथ हुआ । राजस्थान राज्य का गौरवशाली अतीत पूर्व शासकों की धार्मिक निष्ठा एवं धर्मपालन हेतु किये गये बलिदानों के लिये विख्यात हैं । देशी राज्यों के शासकों ने रियासत का राजा स्वयं को नहीं मानकर अपने ईष्ट देवता के नाम की मुहरों एवं राज–पत्र में अंकित मुद्राओं से राज्य का शासन किया । वर्तमान देवस्थान विभाग रियासत में प्राप्त ऐसी ही धार्मिक एवं पुण्य प्रयोजनार्थ स्थापित संस्थाओं एवं राजकीय मन्दिरों के सीधे प्रबंध एवं नियंत्रण के साथ–साथ अन्य अराजकीय पूजा स्थलों, मन्दिरों, मठों, धार्मिक प्रन्यासों का नियमन करने, उनके प्रशासन हेतु मार्गदर्शन देने, उन्हें आर्थिक सहयोग देने जैसे धार्मिक सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करता हैं । कालान्तर में बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम,1959 के अन्तर्गत न्यासों का पंजीकरण,शिकायतों की जॉच,भूमि सुधार कार्यक्रमों के फलस्वरूप मन्दिरों /मठों की भूमियों के पुर्नग्रहण के पश्चात निर्धारित वार्षिकी (एन्युटी) के भुगतान तथा मन्दिरों/संस्थानों को सहायता अनुदान स्वीकृत करने के कार्यकलाप भी इस विभाग के कार्य क्षेत्र में विस्तारित हुये हैं।

राजस्थान राज्य एवं राज्य के बाहर विभिन्न तीर्थ स्थलों पर बने राज्य के मन्दिरों एवं पूजा स्थल मध्यकाल से ही धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा शैक्षणिक प्रवृतियों के केन्द्र रहे हैं। इनके माध्यम से ज्योतिष ,आयुर्वेद, कर्मकाण्ड, धर्मशास्त्र, संगीत, शिल्प, चित्रकला, मूर्तिकला, लोकगीत, भजन, नृत्य परम्परा आदि का संरक्षण, प्रसार एवं प्रशिक्षण होता रहा हैं, और अनेक धर्मज्ञ विद्वानों, निराश्रितों, विद्यार्थियों, साधु–सन्तों को सहयोग , प्रोत्साहन एवं संरक्षण मिलता रहा हैं । समय के अनुरूप सामाजिक परिवर्तनों के उपरान्त भी ये मन्दिर एवं पूजा स्थल आज भी धार्मिक सौहार्द व सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । प्राचीन स्थापत्य कला,शिल्पकला व चित्रकलाओं के ये अनूठे भण्डार अर्वाचीन भारत की अमूल्य निधि हैं । नवीन राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात इस विपुल मन्दिर संपदा के प्रबंध व संरक्षण का उत्तरदायित्व वर्तमान देवस्थान विभाग के पास है।

उद्देश्य एवं प्रतिबद्धताएँ

क्र.स.	विवरण	मन्दिर / संस्थाएँ
1	विलीनीकरण के पश्चात वर्तमान राज्य शासन को उत्तरदायित्व में प्राप्त हुये मन्दिरों,धर्मशालाओं एवं उनकी परिसम्पतियों दुकानें,कृषि भूमि, आवास तथा आभूषण आदि का सीधा प्रबंध एवं नियंत्रण।	
	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार–	390
	राजकीय आत्म निर्भर–	204
	योगः–	**594**
2	राज्य के 3 शहरों /एवं उत्तर प्रदेश राज्य में वृन्दावन,मथुरा तथा हरिद्वार में यात्रियों की सुविधा हेतु धर्मशालाओं/विश्रान्ति गृहों का संचालन ।	
	धर्मशालायें–	9
3	पूर्व देशी राज्यों के शासकों द्वारा विभिन्न पण्डितों/महन्तों/ गोस्वामियों/विद्वानों एवं संस्थाओं को सेवा पूजा एवं सम्पति की देखभाल हेतु सुपुर्द किये गये मन्दिरों की शिकायतों की जॉच एवं नवीन सुपुर्दगार नियुक्त करने की कार्यवाही ।(राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी के मंदिर 400–59 पंजीकृत प्रन्यास = 341) सुपुर्दगी श्रेणी के 341 मन्दिरों के प्रबंध एवं सम्पति के रख–रखाव का दायित्व संबंधित सुपुर्दगार का होता है। सुपुर्दगी श्रेणी के 400 मन्दिरो मे से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.5 (23)देव/94 जयपुर दिनांक 29.9.2008 द्वारा 59 मन्दिरो को सुपुर्दगी श्रेणी से विलोपित किया गया है।	
	सुपुर्दगी श्रेणी	**341**
4	विलीनीकरण के पूर्व रियासतों द्वारा मन्दिरों की सेवा–पूजा धूप–दीप नैवेद्य आदि के लिये स्वीकृत की गई सहायताराशि/सहायता अनुदान का परम्परागत वार्षिक भुगतान एवं तत्संबंधी कार्य का नियत्रंण तथा संशोधित दाखिल खारिज का नवीनीकरण कार्य ।	
	सहायता प्राप्तः–	**10,009**
5	मन्दिरों/मठों की जागीरों के पुनर्ग्रहण के फलस्वरूप जागीर विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिकी (एन्यूटी) का भुगतान तथा संशोधित प्रपत्र 12(ख) जारी करना ।	
	वार्षिकी (एन्यूटी) प्राप्त	**48,466**
6	राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रन्यासों का पंजीकरण, पर्यवेक्षण,जॉच एवं नियंत्रण ।	
	पंजीकृत प्रन्यास	**6103**
7	मेलों/उत्सवों में प्रवचनों एवं कथा सत्संग के धार्मिक/सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से मन्दिर संस्कृति का प्रसार एवं संरक्षण ।	

विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु समयावधि निर्धारण

क्र. स.	विभागीय कार्य का विवरण	कार्यालय जहां कार्य हेतु आवेदन किया जाना है	कार्य निष्पादन की अवधि
1	2	3	4
1	राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने अथवा राजकीय नियंत्रण में लेने की मांग का प्रार्थना पत्र श्रद्धालु नागरिकों या धर्मावलम्बियों द्वारा प्रस्तुत करना।	संबंधित क्षेत्र के सहायक आयुक्त, देवस्थान	180 दिवस
2	किसी लोक न्यास का मूल उद्देश्य विफल रहने तथा न्यास सम्पत्ति का कुप्रबंध होने पर न्यास के समुचित प्रबंध हेतु लोक न्यास में हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम,1959 की धारा 38 के अन्तर्गत आवेदन किया जाना चाहिये ।	संबंधित क्षेत्र के सहायक आयुक्त, देवस्थान के न्यायालय में।	60 दिवस
3	लोक न्यास के नये कार्यकारी प्रन्यासी की नियुक्ति हेतु धारा 41 के अन्तर्गत आवेदन ।	संबंधित क्षेत्र के सहायक आयुक्त, देवस्थान के न्यायालय में।	90 दिवस
4	किसी न्यासी की मृत्यु होने पर या अन्य कारणों से न्यासी के परिवर्तन, अचल सम्पत्ति के क्रय करने पर विभाग के अभिलेखों में अंकन हेतु आवेदन पत्र	संबंधित क्षेत्र के सहायक आयुक्त, देवस्थान के न्यायालय में।	90 दिवस
5	राजस्थान लोक न्यास अधिनियम,1959 की धारा 36 के अन्तर्गत किसी लोक न्यास में हित रखने वाले व्यक्ति को निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर वाछित लेखों की प्रतिलिपि दी जा सकती है तथा लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति भी प्रदान करना हेतु प्रार्थना पत्र	संबंधित क्षेत्र के सहायक आयुक्त, देवस्थान के न्यायालय में।	7 दिवस
6	राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी पंजीकृत लोक न्यास द्वारा रूपया 5000/– मूल्य से अधिक की चल व अचल सम्पत्ति के विक्रय /विनिमय एवं दान के आवेदन पर एवं कृषि भूमि के मामले में पांच वर्ष की अवधि के लिये तथा अकृषि भूमि या भवन के मामले में तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये पटटे(लीज) पर देने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना।	संबंधित क्षेत्र के सहायक आयुक्त देवस्थान	60 दिवस

7	देवस्थान संपदाओं के लंबित किराया प्रकरणों के निपटारे हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नवीन किराया नीति दिनांक 06.06.2000 के अनुसार किरायेदारी नियमन/ उत्तराधिकारी के अंकन हेतु किरायेदार द्वारा आवेदन ।	संबंधित क्षेत्र के सहायक आयुक्त, देवस्थान	90 दिवस
8	विभागीय प्रबंध के मन्दिरों की रिक्त संपदाओं को विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात खुली नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से किराये पर देने का प्रावधान है। किन्तु देवस्थान विभाग की जीर्ण शीर्ण संपदाओं एवं रिक्त भूमि जिन पर अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण की लगातार संभावना बनी रहती है ऐसी सम्पदाओं या भूमियों पर यदि किन्ही सेवाभावी अथवा आस्थावान व्यक्तियों,संस्थाओं द्वारा निर्माण कराकर देवस्थान विभाग को भेंट स्वरूप प्रदान करते है तो ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं को उनके चाहने पर प्रश्नगत सम्पदा बिना किसी निविदा प्रक्रिया के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मानदण्डों के अनुसार किराये पर दी जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति गुण दोष के आधार पर प्रदान करना।	संबंधित क्षेत्र के सहायक आयुक्त, देवस्थान द्वारा प्रकरण आयुक्त, देवस्थान विभाग को अग्रेषित करने पर शासन को अग्रेषित करना।	90 दिवस
9	विभागीय मन्दिरों की खनन योग्य भूमि पर खनन पट्टा खनिज विभाग से प्राप्त करने के लिये देवस्थान विभाग से अनापत्ति प्रामाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है । इस हेतु राज्य सरकार द्वारा एक नवीन खनन नीति दिनांक 18.4.2000 बनाई गई है । नवीन नीति के अनुसार बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के खनन करने वाले पट्टाधारियों का भी नियमन शुल्क लेकर प्रकरणों को नियमित करने का प्रावधान किया गया है । नवीन नीति अनुसार खनन प्रकरणों को नियमित करने एवं बकाया राजस्व जमा कराने के लिये आवेदन किया जा सकता है।	संबंधित क्षेत्र के सहायक आयुक्त, देवस्थान द्वारा प्रकरण आयुक्त, देवस्थान विभाग को अग्रेषित करने पर शासन को अग्रेषित करना।	90 दिवस
10	देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एंव नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी के मन्दिरों को उनके बेहतर प्रबंध एवं सेवा पूजा की श्रेष्ठ व्यवस्था हेतु पंजीकृत संस्थाओं को सुपुर्दगी में देने की राज्य सरकार की नीति है । उपरोक्त श्रेणी के विभागीय मन्दिरों को प्रबंध एवं संचालन हेतु निर्धारित शर्तो पर सुपुर्दगी में लेने हेतु आवेदन किया जा सकता है । प्राप्त आवेदनों का गुणावगुणों के आधार पर परीक्षण कर मन्दिर सुपुर्दगी में देने का निर्णय ।	संबंधित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा प्रकरण आयुक्त, देवस्थान विभाग को अग्रेषित करना।	90 दिवस

11	विभागीय प्रबंध के मन्दिरों में भेंट स्वरूप राशि अथवा वस्तु/आभूषण प्रदान करने के लिये नियमानुसार रसीद प्राप्त की जा सकती है। (श्रद्धालुओं द्वारा भेंट, भेंटपेटी में ही डाली जानी चाहिये।)	संबंधित मन्दिर के प्रबंधक/पुजारी एवं क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, देवस्थान	तत्काल
12	सहायता प्राप्त मन्दिरों के पुजारियों के निधन या अन्य कारणों से स्थान रिक्त होने पर वैध उत्तराधिकारी का अभिलेख में अंकन कर भुगतान का नवीनीकरण कराने बाबत।	संबंधित सहायक आयुक्त देवस्थान द्वारा प्रकरण आयुक्त, देवस्थान विभाग को अग्रेषित करना।	90 दिन
13	नवीन उत्तराधिकारी के नाम संबंधित डिप्टी कलेक्टर (जागीर)द्वारा संशोधित प्रपत्र 12 (क) जारी करने के पश्चात ही भुगतान के आदेश प्रपत्र 12 (ख) जारी करना है।	आयुक्त, देवस्थान विभाग , राजस्थान उदयपुर	30 दिन
14	निजी रूप से प्रबंधित व संचालित मन्दिरों के कुप्रबंध या संचालन का अभाव होने अथवा पुजारी/प्रबंध द्वारा संपदा खुर्द–बुर्द करने आदि की शिकायतों के संबधं में प्रार्थना पत्र।	संबंधित सहायक आयुक्त, देवस्थान	60 दिवस
15	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1)के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना प्राप्त करना।	लोक सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर एवं संबंधित लोक सूचना अधिकारी,सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग	30 दिन
16	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1)के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पर वांछित सूचना नियत अवधि में प्राप्त न होने पर अपील का निर्णय	विभागीय अपील अधिकरी, आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर	30 दिवस
17	राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत मृतक कर्मचारी के आश्रित को 45 दिन में आवेदन प्रस्तुत करने पर	आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर	30 दिवस

आयुक्त उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त कार्यालयों के दूरभाष नम्बर एवं पते

1	आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान– उदयपुर	2, मीरा मार्ग, पंचवटी उदयपुर	0294–2426130 2524813 2423440
2	उपायुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	2, मीरा मार्ग, पंचवटी उदयपुर	0294–2524813 2417844
3	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ,भरतपुर	मंदिर श्री लक्ष्मणजी, मुख्य बाजार, भरतपुर ।	05644–228405
4	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, वृन्दावन	मंदिर श्री राधामाधव जी (जयपुर मंदिर) मथुरा रोड़,वृन्दावन ।	0565–2455146
5	सहायक आयुक्त,(प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर	मंदिर श्री रामचन्द्रजी, पुरानी विधानसभा भवन के सामने ,जयपुर ।	0141–2614404
6	सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर	मंदिर श्री रामचन्द्रजी, पुरानी विधान सभा भवन के सामने, जयपुर ।	0141–2611341
7	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर	पुराना लोक सेवा आयोग भवन के अन्दर, अजमेर ।	0145–2625423
8	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा	मंदिर श्री फूल बिहारी जी, लाड़पुरा, कोटा ।	0744–2326031
9	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ,बीकानेर	मंदिर श्री राजरतन बिहारी जी , बीकानेर ।	0151–2226711
10	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	फतेह मेमोरियल धर्मशाला, सूरजपोल, उदयपुर ।	0294–2420546
11	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, ,ऋषभदेव	ऋषभदेव मंदिर ।	02907–230023
12	सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर	श्री नैनी जी का मंदिर, महामन्दिर के पास, जोधपुर	0291–2650361